अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

न्यायालय उपायुक्त, राँची

दाखिल खारीज पुनरीक्षण वाद सं० 5 आर० 15/2019–20

42
18.11.2022

1. लाल रविन्द्र नाथ शाहदेव पिता स्व० गजेन्द्र नाथ शाहदेव निवासी तुपुदाना, थाना तुपुदाना टी० ओ० पी०, जिला राँची
2. श्रीमति शकुन्तला देवी पति जय नारायण चौधरी निवासी डी० टाईप, झोपडी के नजदीक, थाना धुर्वा, जिला राँची
3. श्रीमति दुलारी देवी पति मुनिन्द्र सिंह निवासी बलदेव सहाय लेन, अपर बाजार, थाना कोतवाली, जिला राँची
4. उगना महतो पिता पोरहा महतो
5. निमो देवी पति उगना महतो

   दोनो निवासी बीचागढा, थाना कर्रा, जिला खुँटी ..... प्रार्थी

बनाम

1. रंथु कुम्हार पिता जेरगा कुम्हार
2. जितवाहन कुम्हार पिता स्व० हरि चरण कुम्हार
3. सरजू कुम्हार पिता स्व० जगदेव कुम्हार
4. सुशीला देवी पति स्व० हरि चरण कुम्हार
5. करियॉन देवी पति स्व० जेरगा कुम्हार
6. राम लखन कुम्हार पिता सरजु कुम्हार
7. संतोष कुम्हार पिता सरजु कुम्हार

   सभी निवासी ग्राम तुपुदाना, थाना धुर्वा, जिला राँची

8. लाल नरेश नाथ शाहदेव पिता स्व० लाल सुधीर नाथ शाहदेव
   निवासी ग्राम तुपुदाना, चिकन पराठा सोप, थाना धुर्वा, जिला राँची
9. माधव कच्छप पिता हेमब्रो कच्छप
   निवासी ग्राम तुपुदाना, सनाटोरियम पोस्ट ऑफिस के सामने, थाना धुर्वा, जिला राँची
10. अमीत मिंज पिता स्तिफेन मिंज
    निवासी अरगोडा, टुंगरी टोली, थाना अरगोडा, जिला राँची
11. रजीव रंजन कुमार बाल गोविन्द भगत

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कारवाई के बारे टिप्पणी, तारीख साथ।
1	2	3

निवासी एस० बी० आई० बैंक के पिछे, हरमु हाउसिंग कॉलनी, थाना अरगोडा, जिला राँची।

12. विजय नायक

निवासी ग्राम तुपुदाना, थाना धुर्वा, जिला राँची ..... उत्तरवादी

आदेश

प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद को प्रार्थी ने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, राँची द्वारा विविध वाद (जमाबंदी रद्द) सं० 56/2000–01 / टी०आर० सं० 03/2001–02 मे दिनांक 12.02.2019 को पारित आदेश के खिलाफ दायर किया गया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, राँची ने मौजा–तुपुदाना, थाना नं०–267, खाता नं०–132, प्लॉट नं0–350, रकबा 0.79 एकड भूमि जमाबन्दी को खतियान रैयत, मनन कुम्हार, पिता–माना कुम्हार के नाम से बरकरार रखने का आदेश अंचल अधिकारी नामकुम, राँची को दिया तथा उक्त भूमि से संबंधित संदेहास्पद जमाबन्दी को बिलोपित करने का प्रस्ताव अलग से प्रेषित करने का आदेश पारित किया गया।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार –

मौजा तुपुदाना, थाना हटिया, थाना सं० 267 , जिला राँची के खाता सं० 132, प्लाट सं० 350, रकबा 1.03 एकड़ भूमि आर० एस० खतियान मे मनन कुम्हार के नाम दर्ज है। खतियानी रैयत मनन उर्फ मदन कुम्हार तथा लाल किस्टो नाथ शाहदेव एवं दुखन नाथ शाहदेव ने उपरोक्त भूमि मधे 0.79 भूमि जगदीश प्रसाद चौधरी को निबंधित पट्टा दिनांक 31.08.1959 को हस्तांतरण कर दिया। जगदीश प्रसाद चौधरी, ने उपरोक्त भूमि दिनांक 24.03.1983 को निम्नलिखित व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दिया:–

नाम	रकबा
1. शकुन्तला देवी पति जय नारायण चौधरी (प्रार्थी सं० 2)	30 डी०
2. लाल रविन्द्र नाथ शाहदेव पिता स्व० गजेन्द्र नाथ शाहदेव (प्रार्थी सं० 1)	12 डी०
3. दुलारी देवी पिता मुनिन्द्र सिंह (प्रार्थी सं० 3)	12 डी०

क्रम और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

4. अनील बरन कर्मकार पिता अकिनचन कर्मकार 11 डी०
5. लाल भोला नाथ शाहदेव पिता स्व० गजेन्द्र नाथ शाहदेव 15 डी०

उपरोक्त खरीददारो मे से उक्त अनील बरन कर्मकार ने अपनी खरीदगी भूमि भूलन देवी (प्रार्थी सं० 6) को हस्तांतरित कर दिया तथा लाल भोला नाथ शाहदेव ने अपनी खरीदगी भूमि को उगना महतो (प्रार्थी सं 4) एवं नेमो देवी (प्रार्थी सं० 5) को क्रमशः दिनांक 31.03.1992 एवं 30.04.1991 को हस्तांतरित कर दिया। उपरोक्त सभी व्यक्ति अपनी–अपनी भूमि पर खरीदगी की तिथि से शान्तिपूर्वक दखलकार चले आ रहे है तथा सभी खरीददारो ने अँचल कार्यालय नामकुम मे अपने–अपने भूमि का नामान्तरण कराकर सरकार को लगान का भुगतान नियमित तौर पर करने लगे। इसी बीच खतियानी रैयत मनन कुम्हार के उत्तराधिकारी ने प्रार्थी के नाम से कायम उपरोक्त जमाबंदी को रद्द करने हेतु विविध वाद सं० 3/2000–01 दायर किया, जिसे तत्कालिन विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, राँची ने आदेश दिनांक 31.01.2002 द्वारा स्वीकृत करते हुए प्रार्थी के नाम से कायम जमाबंदी का विलोपित करते हुए खतियानी रैयत के नाम से पंजी ।। मे की गई प्रविष्टि का हो सही मानते हुए लगान रसीद निर्गत करने का आदेश पारित किया। प्रार्थी दुलारी देवी ने विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा दिनांक 31.01.2002 को पारित उक्त आदेश के खिलाफ अपील वाद सं० 101 आर० 15/2002–03 दायर किया, जिसमे तत्कालिन विद्वान उपायुक्त ने आदेश दिनांक 06.09.2006 द्वारा उक्त मामले पर पुनः सुनवाई कर नये सिरे से आदेश पारित करने के निदेश के भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को प्रतिप्रेषित कर दिया। तत्पश्चात् विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ने तत्कालिन विद्वान उपायुक्त द्वारा दिनांक 06.09.2006 को पारित निदेशानुसार वाद की पुनः सुनवाई कर आदेश दिनांक 08.08.2008 द्वारा प्रार्थी के नाम से रद्द की गई जमाबंदी को पुनः कायम करने का आदेश पारित किया। खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी रंधु महतो वैगरह ने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 08.08.2008 के खिलाफ पुनरीक्षण वाद सं० 24 आर० 15/2015–16 दायर किया, जिसमे तत्कालिन विद्वान उपायुक्त ने आदेश 28.09.2017 द्वारा उक्त मामले पर पुनः सुनवाई कर नये सिरे से आदेश पारित करने के

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कारवाई के टिप्पणी, तारी साथ।
1	2	3

4

निदेश के भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को प्रतिप्रेषित कर दिया। उपरोक्त वाद के पुनः प्रतिप्रेषण के उपरान्त विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, राँची आक्षेपित आदेश दिनांक 12.02.2019 द्वारा मौजा–तुपुदाना, थाना नं०–267, खाता नं०–132, प्लॉट नं0–350, रकबा 0.79 एकड भूमि जमाबन्दी को खतियान रैयत, मनन कुम्हार, पिता–माना कुम्हार के नाम से बरकरार रखने का आदेश अंचल अधिकारी नामकुम, राँची को दिया तथा उक्त भूमि से संबंधित संदेहास्पद जमाबन्दी को विलोपित करने का प्रस्ताव अलग से प्रेषित करने का आदेश पारित किया गया।

प्रार्थी सं० 1 लाल रविन्द्र नाथ भाहदेव एवं प्रार्थी सं० 2 शकुन्तला देवी ने खतियानी रैयत के वंशज सरजु कुम्हार वैगरह के खिलाफ प्रश्नगत भूमि के स्वत्वाधिकार, हित एवं दखल की पुष्टि एवं उनके पक्ष मे निष्पादित विक्रय विलेख के सम्पुष्टि हेतु स्वत्व वाद सं० 24/2004 एवं 25/2004 क्रमशः दायर किया था, जिसमे विद्वान अतिरिक्त मुंसिफ तृतीय श्री संजय कुमार से न्यायादेश दिनांक 18.07.2009 द्वारा स्वीकृत करते हुए प्रश्नगत भूमि पर उनके स्वत्वाधिकार, हित एवं दखल की पुष्टि करते हुए दिनांक 22.07.2009 को डिक्री पारित किया।

उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार –

प्रश्नगत भूमि आर० एस० खतियान मे मनन कुम्हार पिता माना कुम्हार के नाम दर्ज है। जमींदारी उन्मूलन के पूर्व खतियानी रैयत मनन कुम्हार द्वारा प्रश्नगत भूमि का लगान तत्कालीन जमींदार को अदा किया जाता था तथा जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् मनन कुम्हार के नाम से जमाबंदी कायम हुआ तथा उन्हे राज्य सरकार द्वारा प्रश्नगत भूमि के बावत रैयती मान्यता प्रदान किया गया। खतियानी रैयत मनन कुम्हार अपने पिछे एकमात्र पुत्र जगदेव कुम्हार छोड स्वर्गवास हो गये। उक्त जगदेव कुम्हार भी अपने पिछे तीन पुत्र जेरगा महतो, सरजू महतो एवं हरि चरण महतो छोड स्वर्गवास हो गये। उपरोक्त जेरगा महतो अपने पीछे एकमात्र पुत्र रंथु कुम्हार छोड गये। चरण महतो अपने पिछे अपनी पत्नी सुशीला देवी एवं एकमात्र पुत्र जितेन्द्र महतो उर्फ जितवाहन

क्रम और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

महतो को छोड गये। वर्ष 2019 मे प्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि पर दावा करने लगे। उत्तरवादियों द्वारा जॉच पडताल करने पर पता चला कि प्रार्थीगण विक्रय विलेख सं० 5384 दिनांक 31.08.1959 के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर दावा कर रहे है, जिसे खतियानी रैयत ने निष्पादित नही किया है, अपितु उपरोक्त विक्रय विलेख लाल किस्तो काली नाथ शाहदेव, मदन कुम्हार पिता मना कुम्हार एवं अन्य ने जगदीश प्रसाद चौधरी एवं अन्य के पक्ष मे निष्पादित किया है। उपरोक्त विक्रय विलेख मे वर्णित विवरण से यह साफ परिलक्षित होता है कि प्रार्थी के पूर्ववर्ती हिताधिकारी ने चलाकी से उपरोक्त विक्रय विलेख का निष्पादन कराया था। उक्त विक्रय विलेख के विक्रेता एवं क्रेता एक ही है। उक्त विक्रय विलेख द्वारा प्रार्थी या उनके पूर्ववर्ती हिताधिकारी को प्रश्नगत भूमि पर कोई हक एवं स्वत्वाधिकार प्राप्त नही हुआ है।

उत्तरवादी द्वारा दायर विविध वाद सं० 3/2000–01 मे तत्कालिन विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, रॉची ने आदेश दिनांक 28.04.2002 द्वारा प्रार्थी के नाम से कायम जमाबंदी को विलोपित करते हुए खतियानी रैयत के नाम से पंजी ।। मे की गई प्रविष्टि को को सही मानते हुए लगान रसीद निर्गत करने का आदेश यह कहते हुए पारित किया कि प्रश्नगत भूमि खतियानी रैयत मनन कुम्हार की थी, जबकि विक्रय विलेख सं० 3584 दिनांक 31.08.1959 मदन कुम्हार द्वारा निष्पादित किया गया है।

उक्त आदेश के खिलाफ प्रार्थी सं० 2 द्वारा दायर अपील वाद सं० 4 आर० 15/2002–03 को विद्वान अपीलीय न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जब वर्ष 1950 ई० मे ही जमींदारी उन्मूलन हो गई तो जमींदार को रैयत के साथ मिलकर विक्रय विलेख निष्पादन करने का कोई हक नही था।

उपरोक्त विक्रय विलेख की जानकारी होने के पश्चात् उत्तरवादियो ने स्वत्व वाद सं० 259/2019, 503/2019 एवं 751/2019 उक्त विलेख को रद करने के अनुरोध के साथ दायर किया है तथा प्रार्थी द्वारा दायर स्वत्व वाद सं० 24/2004 एवं 25/2004 मे पारित

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कारवाई के टिप्पणी, तारी साथ।
1	2	3

न्यायादेश के खिलाफ स्वत्व अपील सं० 99/2019 दायर किया है, जो वर्त्तमान मे लंबित है।

निम्न न्यायालय के समक्ष अँचलाधिकारी नामकुम अँचल द्वारा दायर जाँच प्रतिवेदन मे यह साफ उल्लेख किया कि प्रश्नगत भूमि पर मकान खतियानी रैयत मनन कुम्हार के वंशज बनाया गया है, परन्तु उस पर दुलारी देवी निवास करती है। प्रश्नगत भूमि पर खतियानी रैयत के वंशज का दखल कब्जा है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि दोनो पक्षों के मध्य प्रश्नगत भूमि के स्वत्वाधिकार, दखल इत्यादि को लेकर विवाद है, जिसके निराकर हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नही है। उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि के स्वत्वाधिकार, हित इत्यादि के अधिनिर्णयन हेतु समक्ष न्यायालय मे स्वत्व वाद सं० 259/2019, 503/2019 एवं 751/2019 लंबित है तथा प्रार्थी द्वारा दायर स्वत्व वाद सं० 24/2004 एवं 25/2004 मे पारित न्यायादेश के खिलाफ स्वत्व अपील सं० 99/2019 भी वर्त्तमान मे लंबित है, तथा अंतिमता को प्राप्त नही हुआ है। उत्तरवादी द्वारा दावा किया गया है कि प्रार्थी के विक्रेता के पक्ष मे निष्पादित विक्रय विलेख खतियानी रैयत द्वारा निष्पादित नही किया है, अपितु उपरोक्त विक्रय विलेख को लाल किस्तो काली नाथ शाहदेव, मदन कुम्हार पिता मना कुम्हार एवं अन्य ने जगदीश प्रसाद चौधरी एवं अन्य के पक्ष मे निष्पादित किया है तथा उक्त विक्रय विलेख के विक्रेता एवं क्रेता एक ही है। उनके उपरोक्त दावे को प्रार्थी द्वारा खंडन नही किया गया है, जिससे उनके खिलाफ प्रतिकुल अनुमान लगाया जा सकता है। विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्त के अनुसार जमाबंदी कायम करने या जारी रखे जाने का मुख्य मापदण्ड किसी भूमि पर दावाकर्त्ता का दखल होता है, जो प्रस्तुत मामले मे विद्वान निम्न न्यायालय के अनुसार खतियानी रैयत के वंशजो को प्राप्त है। ऐसी स्थिति मे विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.02.2019 मे हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती

…क्रम और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

है।

अतः यह पुनरीक्षण वाद खारिज किया जाता है तथा विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा विविध वाद (जमाबंदी रद्द) सं० 56/2000–01 / टी०आर० सं० 03/2001–02 मे दिनांक 12.02.2019 को पारित आदेश बहाल रखा जाता है।

इस आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
राँची

लेखपित एवं संशोधित

उपायुक्त
राँची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.04.01 12:49:06 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:24d0:3f92:988a:358d